ई-मे
आवश्य

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/एस0सी0एस0पी0/2016-17 दिनांकः-

विषयः- **डिजीज फ्रीजोन की स्थापना, (के.60/रा.40-के.+रा.) (एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू0 910000.0 हजार के सापेक्ष आवंटित धनराशि के व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0-359/बजट/29(5)/अनु0-83/0 2016-17 दिनांक 09.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डिजीज फ्रीजोन की स्थाप (के.60/रा.40-के.+रा.) (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपल केन्द्रीय सहायता की सीमान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 910000.00 ह (रू0 नौ करोड़ दस लाख मात्र) के समक्ष धनराशि आवंटित की गयी है। जिसके व्यय संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश की सी तक धनराशि का आवंटन किया गया है।
2. मानक मद 04-यात्रा व्यय में आवंटित धनराशि का व्यय यात्रा भत्ता बीजकों नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा।
3. मानक मद 07-मानदेय में आवंटित धनराशि से पैरावेटों के मानदेय का भुगतान कि जायेगा।
4. मानक मद 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई में आवंटित धनराशि का व्य एफ0एम0डी0 टीकाकरण के 20वें चरण हेतु आवंटित की गयी है।
5. मानक मद 15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में विगत 1 चरण की देनदारियों एवं संभावित 20वें चरण के एफ0एम0डी0 टीकाकरण के कार्यक्र को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि का आवंटन किया गया है।

6. मानक मद 18-प्रकाशन में आवंटित धनराशि से पशुपालकों को हेल्थ कार्ड उपल करानै हेतु आवंटित की गयी है, जिसके व्यय के संबंध में इस कार्यालय के सं-688/सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/सामान्य मद/2016-17दिनांक 15.12.20 द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

7. मानक मद 19-विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय में आवंटित धनराशि के व्यय संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं-320/सा0-1 दिनांक 09.08.2016 द्वारा ज किये गये दिशा-निर्देश में प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री मुख्यालय से प्राप्त किये जाने उल्लेख किया गया है। चूंकि धनराशि आपको आवंटित की जा चुकी है। फल प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री की व्यवस्था आपको स्वयं करनीं होगी। शेष निर्देश यथाव लागू रहेंगे।

8. मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र, 29-अनुरक्षण, 39-औषधि त रसायन एवं 42-अन्य व्यय में आवंटित धनराशि का व्यय पूर्व की भांति किया जाएगा

9. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से एफ0एम0डी0 वैक्स की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कोल्ड चेन मेन्टेन करने हेतु धनराशि आवंटित गयी है। संदर्भित मद में यदि धनराशि अवशेष रह जाती है तो कारणों सहित धनरा का उल्लेख करते हुए अधोहस्ताक्षरी से व्यय करने की अनुमति प्राप्त करनी अवश्य होगी।

10. मानक मद 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय किये जाने हेतु धनरा आवंटित की गयी है।

भवदीय,

(ए0एन0 सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/ दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(ए0एन0 सिंह)
निदेशक,